न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 38/19 तारीख रज्जू– 16/09/19

1. रामकिशन पुत्र कालू, गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी महापुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा। –अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार द्वारिये नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा । –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 27.9.19

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा निराल संख्या 411/15 में पारित निर्णय दिनांक 20/10/15 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम महापुरा के आराजी ख0नं0 1338 रकबा 0.06 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर काबिज होने का दोषी मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश वाली अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत बिलाना कानून व मकसद निराल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने तकनाज पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है। वास्तव में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का चरागाहों अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात का पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में भी अपीलान्ट के खिलाफ कोई तकाजा नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का काबिज अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी बाबत उपस्थित नहीं हुआ। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में सुदृढ साक्ष्य या अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर सिविल कारावास जैसी कठोर सजा का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सिविल कारावास की सजा के लिए सुदृढ अभिलेख का पत्रावली में अभाव पाया गया है। ऐसी अवस्था में सुदृढ अभिलेख के अभाव में पारित किया गया सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश शास्ति व बेदखली यथावत निर्णीत की यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर